# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

**(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)**

**अपील/82/2013**

1–रोहताश
2–केदार
3–प्रेमसिंह
} पुत्रान छिददा जाति जाट निवासी बैलारा कलां तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

....अपीलान्टान

**बनाम**

1–भौंती पत्नी स्व0 सावलिया जाति जाटर निवासी बैलारा कलां तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
2–दोलतसिंह
3–सुरजीतसिंह
} पुत्रान अकवर सिह जाति जाट निवासी सैमपुर नाहरवार तहसील वैर जिला भरतपुर
4–दीवानसिंह पुत्र बृजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी बैलारा कलां तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

....रैस्पोडेन्टान

अपीलअन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश नायव तहसीलदार सव तहसील कुम्हेर दिनांक 11.03.1970 बाबत नामान्तकरण संख्या 71 ग्रांम बैलारा कलां तहसील कुम्हेर

**आदेश**

**दिनांकः– 31.03.2021**

अपीलान्टान ने यह अपील नायव तहसीलदार कुम्हेर के आदेश दिनांक 11–3–70 के विरुद्व एवं रेस्पो0 के खिलाफ पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नायव तहसीलदार कुम्हेर ने विवादित आराजी का नामान्तकरण संख्या 71 दिनांक 11.03.1970 रेस्पा0 के हक में खोला जाकर स्वीकार किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

**अपील/84/13**

1–रोहताश
2–केदार
3–प्रेमसिंह
} पुत्रान छिददा जाति जाट निवासी बैलारा कलां तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

....अपीलान्टान

**बनाम**

1–सुरजीतसिंह पुत्र अकवरसिह जाति जाट निवासी सलैमपुर नाहरवार तहसील वैर जिला भरतपुर
2–भौंती पत्नी स्व0 सावलिया जाति जाट निवासी बैलारा कलां तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

....रैस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश न्यायालय सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी कुम्हेर दिनांक 18.02.86 व मुकदमा नम्बर 158/86 शीर्षक प्रार्थना पत्र सुरजीतसिंह

अपीलान्टान ने यह अपील न्यायालय सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कुम्हेर के आदेश दिनांक 18.02.1986 के खिलाफ रेस्पो0 के विरुद्व पेश की गई है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कुम्हेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.1986 बैयनामा के आधार भौती रेस्पो0 संख्या 2 विकेता के स्थान पर रेस्पो0 संख्या 1 सुरजीतसिंह के नाम नामान्तकरण स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। इससे से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

**अपील/85/13**

1–रोहताश
2–केदार
3–प्रेमसिंह
} पुत्रान छिददा जाति जाट निवासी बैलारा कलां तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

....अपीलान्टान

**बनाम**

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

दौलतसिंह पुत्र अकबर सिंह जाति जाट निवासी सलैमपुर नाहरवार तहसील वैर जिला भरतपुर

....रैस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश न्यायालय सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी कुम्हेर दिनांक 18.02.1986 व मुकदमा नम्बर 157/86 शीर्षक प्रार्थना पत्र दौलतसिंह

अपीलान्टान ने यह अपील न्यायालय सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी कुम्हेर के आदेश दिनांक 18.02.1986 के खिलाफ रेस्पो0 के विरुद्व पेश की गई है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कुम्हेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.1986 में रजिस्टड बैयनामा के आधार पर केता रेस्पो0 दौलतसिंह के हक में नामान्तकरण स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। इससे से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 की तलबी की गई। पत्रावली तहत तलब की गई। उक्त तीनों अपीलों में एक ही विवादित आराजी है तथा एक ही पक्षकार व निर्णायक बिन्दू समान होने से तीनो प्रकरणों की एक ही बहस सुनी जाकर इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि नायव तहसीलदार कुम्हेर ने विवादित आराजी खसरा नम्बरान का नामान्तकरण संख्या 71 एस.डी.ओ. भरतपुर के आदेश कंमाक 297 दिनांक 03.02.1970 फैसला तारीख 30.12.1969 के आधार पर निस्फ हस्से पर रेस्पो0 भौंती बेबा सामलिया के नाम प्रवृष्टियां किये जाने का आदेश गया है वह आदेश विधि विरुद्व होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजी पर पहले अपीलार्थीगण के पिता छिददा खातेदार काश्तकार थे उनके मरने के वाद अपीलार्थीगण काबिज काश्तकार है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कहना है कि तथाकथित प्रकरण दावा उनवानी भोती बनाम छिददा मे जो इकवालदावा सलग्न है कतई असत्य कूटरचित एवं बनावटी है इस प्रकार मिथ्या इकवालदावे के आधार जो निर्णय दिया है वह कतई शून्य है इसलिये एस.डी.ओ. भरतपुर के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

निर्णय/डिक्री के आधार पर खोला गया नामान्तकरण अपीलाधीन आदेश कतई गलत है शून्य होने से खारिज योग्य है।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कहना है कि तहत न्यायालय ने बयनामा क्रमांक 555 दिनांक 11.10.1985 के आधार पर भौंती विक्रेता के स्थान पर क्रेता सुरजीत सिंह एवं दौलतसिहं के हक में नामान्तकरण खोलने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.1986 दिये गये हैं वे विधि विरुद्व हैं। तहत न्यायालय ने कब्जे हस्तान्तरण की कोई जांच नहीं की गई है। विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण के पिता छिदा काबिज खातेदार काश्तकार रहे हैं। छिददा की दिनांक अप्रेल 2008 में मृत्यू होने के बाद से अपीलार्थीगण स्व0 छिददा के एक मात्र वारिस हैं तथा समस्त विवादित आराजी पर काबिज खातेदार काश्तकार हैं। भोंती पत्नी सामलिया के नाम गलत इन्द्राज होने से उसे कोई अधिकार विवादित आराजी के किसी हिस्से पर नहीं रहे हैं। उसके द्वारा किये कथित बैयनामा कतई गलत विधि विरुद्व एवं आरम्भ से ही शून्य हैं। उनका यह भी तर्क है कि क्रेता की उम्र 6–8 साल थी वह अल्प वयस्क रहा था उसके पास उक्त आराजी को खरीदने के लिये कोई धनराशि उपलब्ध नही रही थी उसको कब्जा भी हस्तानान्तरण नही हो सकता था। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने म्याद के बिन्दू मे बताया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 04.08.2013 को बताने पर हुई। तब नकल वगैरा लेकर अपील जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई है, प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पेश किया गया है। अपीलें अन्दर म्याद शूमार कर तीनों अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाकर हम अपीलार्थीगण के नाम स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने तर्को में जाहिर किया कि अपीलान्टस को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। योग्य अभिभाषक रेस्पो ने बतायाकि श्रीमती भौंतीपत्नी स्व0 सांवलिया ने एस.डी.ओ. भरतपुर के यहॉ एक दावा नम्बर 418/68 उनवानी भौंती बनाम छिददा पेश किया जिसमें अपीलान्टस के पिता छिददा ने अपना इकबाल दावा पेश किया था जिसके आधार पर एस.डी.ओ. भरतपुर ने मुस0 भोंती का दावा स्वीकार करते हुये अपने आदेश दिनांक 31.12.1969 को अपीलान्टस के पिता छिददा के विरुद्व डिक्री कर दिया। एस.डी.ओ. भरतपुर के निर्णय डिक्री के आधार पर विवादित आराजी का भोंती के नाम नामान्तकरण संख्या 71 दिनांक 11.03.1970 को दर्ज कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय की आज्ञा डिक्री की पालना में नामान्तरण भोंती

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

के नाम स्वीकार किया गया है। मु0 भौंती खातेदार ने विवादित आराजी का विक्रय जरिये जिस्टर्ड बैयनामा 11.10.1985 को रेस्पो0 के हक मे कर दिया गया। उक्त रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने क्रेता रेस्पो0 के हक में दाखिल खारिज स्वीकार किये जाने के आदेश दिनांक 18.02.1986 को दिये गये। क्रेता विवादित आराजी खरीद दिनांक से आराजी पर काबिज होकर शांति पूर्वक काश्त करता चला आरहा है। अपीलान्टस को अपीलाधीन आदेश की जानकारी छिदा के जीवनकाल से ही थी। उनका तर्क है कि छिददा की मृत्यू अप्रेल 2008 में या इससे पूर्व हुई हो अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.03.1970 व दिनांक 18.02.1986 की जानकारी उसी समय हो जाने पर इसकी अपील सन् 2013 में इतनी देरी से पेश की गई है। उनका यह भी तर्क है कि विवादित दाखिल खारिज की जानकारी अपीलान्टस के पिता छिदा को उसने जीवन काल में हो गयी थी किन्तु छिदा ने उक्त विवादित दाखिल खारिज की बाबत कोई आपत्ति अपने जीवन काल में नही की। बैयानामा आज भी स्टेन्ड कर रहे हैं। योग्य अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2015(1) पेज 168, आरआरटी 2014(1) पेज 154, डीएनजे 2016(1) पेज 201 उद्वरत करते हुये अपीलें म्याद बाहर होने.से तीनों अपीलें खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

पत्रावलयों का गहन अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेशों पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध नकल सत्यप्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर आदेशिका दिनांक 31.12.1969 मुकदमा उनवानी भोंती बनाम छिद्दा दावा नम्बर 418/68 व डिक्री के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी की बाबत भोंती पत्नी सांवलिया द्वारा एक दावा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय मे पेश किया गया था जो वरविनाय इकवाल दावा के आधार पर भोंतीं के हक में दिनांक 31.12.1969 को डिक्री किया गया है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर मुस0 भौंती को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय/डिक्री दिनांक 31.12.1969 से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय/डिक्री दिनांक 31.12.1969 की पालना में तहत न्यायालय द्वारा भोंती पत्नी साबलिया के हक में नामान्तरण संख्या 71 दिनांक 11.03.1970 को स्वीकार किया गया है। तहत न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी .भरतपुर के निर्णय/डिक्री आदेश की पालना की है। उक्त निर्णय के विरूद्ध छिछ्दा द्वारा कोई आपत्ति दर्ज कराई हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। 40 वर्ष के लम्बे अन्तराल के पश्चात

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपीलाधीन आदेश को चैलेन्ज करने का कोई जस्टिफाइट कारण भी अपीलान्ट द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 71 दिनांक 11.03.1970 न्यायालय के निर्णय की पालना में दर्ज किये जाने के कारण हम इसमें कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। इसमें उनके द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। मुस0 भौंती ने अपनी खातेदारी आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा 555 दिनांक 11.0.1985 को विक्रय किया गया है। रजिस्टर्ड बैयनामा 555 दिनांक 11.10.1985 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज कराये जाने हेतु दौलत सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.1986 को तहत न्ययालय सहायक भू प्रबन्ध अध्किारी कुम्हेर में पेश किया गया है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कुम्हेर ने प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुये रजिस्टर्ड बैयनामा 555 दिनांक 11.10.1985 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 18.02.1986 पारित किया गया है जिसमें उन्होने कोई त्रुटि नहीं की है। चूंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण रजिस्टर्ड बयनामें के आदेश पर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा के कम मे दर्ज किये गये बयनामा आज भी प्रभावी है। अपीलान्ट द्वारा विवादित बयनामों को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत बाद भी माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 भरतपुर द्वारा दिनांक 10.12.2014 को खारिज किया जा चुका है। उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलान्ट ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील लम्बित होना बताया है, परन्तु बयनामा आज भी प्रभावी है, जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा इसे निरस्त नहीं कर दिया जाता। अतः ऐसी स्थिति में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कुम्हेर द्वारा पारित आदेश में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। विवादित नामान्तकरण रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर खोला गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आज्ञा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाते है।

**अतः आदेश है कि–**

उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त तीनों अपीलें खारिज की जाती हैं। तहत न्यायालय की पत्रावली वापिस निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को सुनाया गया।

**(बीना महावर)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**भरतपुर (राज.)**